अंजन कुमार सरमा व अन्य

बनाम

असम राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 560/2014)

23 मई, 2017

[एल. नागेश्वर राव और नवीन सिन्हा, जे.जे.]

साक्ष्य–अंतिम बार देखा गया सिद्धांत–की विश्वसनीयता, निर्धारण: आखिरी बार एक साथ देखे जाने की स्थिति अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने के लिए अपने आप में आधार नहीं बना सकती है।–ऐसे मामले में जहां अन्य कड़ी संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं, अंतिम बार देखी गई परिस्थिति कड़ी जो श्रृंखला को पूरा करती है–अन्य परिस्थितियों के प्रमाण के अभाव में, अंतिम बार एक साथ देखी गई एकमात्र परिस्थिति और संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव को दोषिसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है–तथ्यों पर, अन्य परिस्थितियों को साबित नहीं होने पर, अभियुक्तों के खिलाफ केवल दो परिस्थितियां कि उन्हें आखिरी बार मृतका के साथ देखा गया था और किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव। अभियुक्त द्वारा आगामी–परिस्थितियों की श्रृंखला की कमी के कारण जो अभियुक्त के खिलाफ अपराध की एकमात्र परिकल्पना की ओर ले जाती है, उच्च न्यायालय का अपीलाथिर्यों को धारा 302, 201 सपठित 34 दंड संहिता, 1860 के अपराधों के लिए दोषी ठहराया निर्णय अपास्त किया–धारा 302, 201 सपठित 34

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 संदेह कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है क्योंकि कभी अनजाने मे यह नैतिक निश्चितता और कानूनी प्रमाण के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। कभी कभी "सच हो सकता है" का मामला हो सकता है। लेकिन "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच एक लंबी मानसिक दूरी है और वही कुछ निष्कषो से संयोजनों को विभाजित करता है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थापित तथ्यों के आधार पर होने चाहिए न कि अनुमानों के आधार पर [पैरा 15, 16] [1002-बी सी]

जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य (1991) 3 एस.सी.सी. 27:[1991] 2 एससीआर 298; सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य (2013) 12 एससीसी 406: [2013] 3 एससीआर 830-पर आधारित।

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि मृत्यु 48 घंटे के भीतर 28.12.1992 पर हुई थी जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, सही नहीं है। पोस्टमार्टम जांच 30.12.1992 पर दोपहर 12 बजे की गई थी और पीडब्लू-11 द्वारा यह राय दी गई कि मृत्यु 24 से 48 हुई पोस्टमार्टम जांच के पहले। भले ही समय को अधिकतम 48 घंटे तक बढाया जाए, मृत्यु दिनांक 28.12.1992 को दोपहर 12 बजे के बाद हुई थी। मृतका दिनांक 27.12.1992 को 9 बजे तक आरोपी के साथ थी। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि अभियुक्तों ने मृतका की रात के समय हत्या कर दी है और शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया है, किसी भी सिद्ध तथ्यों के आधार पर नहीं है। निचली अदालत का यह मानना सही था कि रिकॉर्ड पर मृतका का दिनांक 28.12.1992 को दोपहर 12 बजे के बाद आरोपी के साथ होने का कोई सबूत नहीं है। [पैरा 16] [1002-डी-एफ]

1.3 अभियोजन पक्ष ने नौ परिस्थितियों पर भरोसा किया सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पीडब्ल्यू-11 जिन्होंने संचालन किया शवपरीक्षा ने राय दी कि पीडिता की मृत्यु के कारण थी खोपडी पर पाया गया मृत्यु से पूर्व घाव जो खुकरी के कारण हो सकता था। यह स्वीकार किया जाता है कि जब्ती अभियोजन पक्ष किसी स्वतंत्र गवाह के अभाव मे यह साबित करने में भी विफल रहा कि उस पर खून के धब्बे थे उक्त खुकरी। शौचालय में मिले खून के धब्बे बंगले को जांच के लिए भेजा गया था जिसके परिणाम नकारात्मक आए। उपरोक्त परिस्थितियाेंं को साबित नहीं किया गया जिस कारण अभियुक्त के खिलाफ केवल दो परिस्थितियां रहे जाती हैं कि अभियुक्तों को आखिरी बार मृतका के साथ देखा गया था और अभियुक्त द्वारा आने वाले किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव था [पैरा 17] [1002-एफ-एच; 1003-ए]

1.4 आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकती। ऐसा मामला जहां अन्य कड़ी संतोषजनक रूप से पाये गए हैं और परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं, आखिरी बार एक साथ देखे जाने की स्थिति और स्पष्टीकरण का अभाव एक अतिरिक्त कडी प्रदान करेगा जो श्रृंखला को पूरा करती है। अन्य परिस्थितियों के प्रमाणित नही होने की स्थिति मे, केवल आखिरी बार एक साथ देखे जाने की स्थिति और संतोषजनक की अनुपस्थिति स्पष्टीकरण को दोषसिद्धि का आधार नही बनाया जा सकता है। [पारस। 18, 21] [1003-बी; 1004-जी-एच]

1.5 परिस्थितियों की श्रृंखला की कमी के कारण जो नेतृत्व करती है केवल अभियुक्त के खिलाफ अपराध की परिकल्पना, उच्च न्यायलाय के निर्णय को दरकिनार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। धारा 302, 201 सपठित धारा 34 के आरोप [पैरा 22] [1006-डी]

देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य [1955] 2 एएससीआर 570 पर आधारित।

गोवा राज्य बनाम संजय ठकरन [2007] 3 एस.सी.सी. 755: [2007] 3 एससीआर 507- से भिन्न।

ब्रहम स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस.सी.सी. 288: [2010] 15 एस.सी.आर. 1; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। राज्य महाराष्ट्र (1984) 4 एस.सी.सी. 116: [1985] 1 एससीआर 88; एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1963 एससी राजस्थान (2014) 4 एससीसी 715: [2014] 3 एससीआर 744; अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य (1994) पूरक 2 एस.सी.सी. 372 : [1994] 2 एस. सी. आर. 265; भारत बनाम एम. पी. राज्य (2003) 3 एससीसी 106: [2003] 1 एस. सी. आर. 748-संदर्भित।

<u>संदर्भित न्यायिक दृष्टांत</u>

[2010] 15 एससीआर 1	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
[1985] 1 एससीआर 88।	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
[1963] एससीआर 405	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
[1991] 2 एससीआर 298	निर्भर किया गया है	पैरा 15
[2013] 3 एससीआर 830	निर्भर किया गया है	पैरा 16
[2014] 3 एससीआर 744	संदर्भित किया गया है	पैरा 18

[1994] 2 एससीआर 265	संदर्भित किया गया है	पैरा 18
[2003] 1 एससीआर 748	संदर्भित किया गया है	पैरा 19
[1955] 2 एससीआर 570	निर्भर किया गया है	पैरा 20
[2007] 3 एससीआर 507	भिन्नता	पैरा 21

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 560/2014

असम उच्च न्यायालय, गुवाहाटी के आपराधिक अपील संख्या 337/2003 के निर्णय और आदेश दिनांक 11.11.2013 से

सुशील कुमार, अमरेंदर शरण, वरिष्ठ अधिवक्तागण। आदित्य कुमार, बिश्वजीत स्वैन, बिश्वजीत पात्रा, अवनीश शर्मा, आर.एम. पटनायक, पार्थिव के. गोस्वामी, कैलाश चंद, सिद्धार्थ दवे, आर.एन. करंजावाला, संदीप कपूर, शिवेक त्रेहन, विवेक सूरी, सुश्री निहारिका करंजावाला, अभिमन्यु ध्यानी, माणिक करंजावाला (करंजावाला एंड कंपनी के लिए), अपीलार्थीयों के अधिवक्तागण ।

आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, देबोजीत बोरकाकाटी, एम. बालाशुवुडु, यशराज सिंह बुंदेला, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय एल नागेश्वर राव, जे. द्वरा दिया गया

1. अपीलकर्ताओं पर जितेंद्र नाथ काकती उर्फ जीत काकती के साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद ' आईपीसी ' के रूप में संदर्भित) की धारा 302, 376 (2) (जी), 201 सपठित धारा 34 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी जीत काकाती पर आईपीसी की धारा 366-ए के तहत अलग से आरोप लगाए गए। अपीलकर्ताओं और जीत काकाती को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर

दिया गया। उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ताओं और जीत काकाती को आईपीसी की धारा 376 (2) (छ) सपठित धारा 34 व धारा 366-ए के अपराध मे बरी करते हुए धारा 302 , 201 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 302 के सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जित काकाती ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1305 दायर की थी जो उनकी मृत्यु के कारण समाप्त हो गई।

2. अपीलकर्ता 1, 2 और जित काकाती ने प्रासंगिक समय में गोटंगा चाय एस्टेट के सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया। अपीलकर्ता संख्या 3 संगसुआ चाय बागान के कल्याण अधिकारी के रूप में कार्यरत था और अपीलकर्ता संख्या 4 गोबिंदपुर चाय बागान के सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। गोटंगा और सांगसुआ चाय बागान दोनों एक ही प्रबंधन के अधीन थे। जित काकती और अंजन कुमार शर्मा, पहले अपीलकर्ता, गोटंगा चाय एस्टेट में बंगला नंबर 17 में रहते थे। जित काकाती गोटंगा चाय एस्टेट में अपने स्थानांतरण से पहले जब सांगसुआ चाय एस्टेट में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, तब वह सांगसुआ चाय एस्टेट में स्थित निदेशक के बंगले के एक हिस्से में रह रहे थे। अपने स्थानांतरण और गोटंगा चाय एस्टेट में बंगला नंबर 17 के आवंटन के बाद भी, जीत काकाती संगसुआ चाय एस्टेट में निदेशक के बंगले पर ही काबिज थे।

3. रेखा दत्ता संगसुआ चाय बागान में निदेशक के बंगले के पास स्थित एक घर में रहती थीं। जित काकती ने रेखा दत्ता के साथ घनिष्ठता विकसित की। दिनांक 27.12.1992 को रेखा दत्ता पानी लाने के लिए संगसुआ चाय बागान के निदेशक के बंगले मे गयीं। जित काकती ने उन्हें बंगले के अंदर बुलाया और रेखा दत्ता काफी समय तक

बंगले में रहीं। सरुमई हलवाई (पीडब्लू-1) ने रेखा दत्ता के बड़े भाई जिबोन दत्ता (पीडब्लू-20) को बताया कि उनकी बहन जित काकाती के साथ बंगले के अंदर काफी समय बिता रही थी। पीडब्लू-20, जो प्रासंगिक समय पर संगसुआ चाय एस्टेट में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था, ने अपनी बहन जून मोनी दत्ता (पीडब्लू-2) को निदेशक के बंगले पर यह देखने के लिए भेजा कि रेखा दत्ता बंगले में हैं या नहीं। पीडब्लू-2 ने बंगले का दौरा किया और पाया कि रेखा दत्ता जीत काकती के साथ एक कमरे में बैठी थीं। उक्त जानकारी के आधार पर, पीडब्लू-20 निदेशक के बंगले पर गए और जीत काकाती के आचरण पर सवाल उठाया। जित काकती ने पीडब्लू-20 को सूचित किया कि वह रेखा दत्ता से शादी करना चाहता है। पीडब्लू-20 ने जीत काकाती को बताया कि शादी के संबंध में निर्णय उसके रिश्तेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-20 ने एक रंजीत हलवाई को अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए भेजा। पीडब्लू-20 के रिश्तेदारों के मौके पर पहुंचने से पहले रेखा दत्ता के साथ सभी आरोपी दो मोटर साइकिलों पर संगसुआ चाय बागान के निदेशक के बंगले से निकल गए। वे बगल के गोटंगा चाय बागान में बंगला नंबर 17 में गए। रेखा दत्ता को दिनांक 27.12.1992 की शाम को फुलु तुरी (पीडब्लू-4) और भाई तुरी (पीडब्लू-5) ने बंगला नंबर 17 पर रात 9:00 बजे तक देखा था। चूँकि उसके बाद रेखा दत्ता का पता पीडब्लू-20 और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं था, उन्होंने दिनांक 28.12.1992 को पूछताछ शुरू कर दी। चूँकि वे रेखा दत्ता का पता नहीं लगा सके, पीडब्लू-20 ने पुलिबार पुलिस स्टेशन, जिला जोरहाट के प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया और एक इज़हार (एफआई बयान) प्रस्तुत किया। पीडब्लू-20 ने इजहार में कहा कि जित काकाती 27.12.1992 को शाम 4:30 बजे रेखा दत्ता के साथ भाग गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला।

4. 29.12.1992 को सुबह 10:15 बजे एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारी (पीडब्लू-21) ने संगसुआ चाय बागान में जाकर अपनी जांच शुरू कर गवाहों से पूछताछ

शुरू की। दोपहर करीब 1:50 बजे उन्हें रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली. वह गोटंगा चाय बागान के पास रेलवे ट्रैक पर गया जहां पर एक लड़की के शव के कटे हुए टुकड़े पड़े देखे। उन्होंने उस लड़की के शरीर की जांच की जो ट्रेन से टुकड़ों में कट गया था। शव के टुकड़े रेलवे ट्रैक के 40 फीट एरिया में बिखरे पड़े थे। शरीर के अन्य हिस्सों के साथ सिर और बायां पैर नहीं पाया गया। दाहिना पैर जाँघ से घुटने तक टुकड़ों में कटा हुआ था, पैर लगभग अलग हो गया था लेकिन त्वचा का एक कतरा मात्र था। बायां हाथ टूटा हुआ था लेकिन शरीर से जुड़ा हुआ था। बायां पैर गायब था। पीडब्लू-20 द्वारा शव की पहचान उसके पहने हुए कपड़ों के आधार पर रेखा दत्ता के रूप में की गई। अपीलकर्ताओं और जीत काकाती ने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 31.12.1992 को जित काकती द्वारा दिए गए इत्तला के अनुसार, बंगला नंबर 17, गोटंगा चाय एस्टेट में जित काकती की अलमारी से एक खुकरी बरामद की गई थी।

5. शव का पोस्टमार्टम 30.12.1992 को डॉ. गोलाप चंद्र डेका (पीडब्लू-11) द्वारा किया गया था, जिन्होंने राय दी थी कि मृत्यु मस्तिष्क संबंधी चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और कोमा के कारण हुई थी। मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

> 1. "ललाट, लौकिक और पार्श्विका क्षेत्र सहित कैल्वेरियम का एक हिस्सा बाईं ओर 10 mx 2 सेमी आकार के एक हड्डी गहरे कटे हुए घाव के साथ अलग हो जाता है और शेष तरफ पूरी तरह से उखड़ जाता है। खोपड़ी की हड्डी का अलग हुआ हिस्सा खोपड़ी और लंबे काले बालों से ढका हुआ था। अलग की गई खोपड़ी के बाईं ओर का कटा हुआ किनारा बेवेलिंग दिखाता है। कटे हुए किनारों के आसपास और खोपड़ी

के नीचे रक्त का थक्का जमा होना। मस्तिष्क पदार्थ यथास्थान नहीं पाया जाता है।

2. पेरिऑर्बिटल क्षेत्र के साथ खोपड़ी के शेष भाग को उसकी सामग्री के साथ ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर और नाक के ऊपर की ओर कुचल दिया जाता है। दाहिना कान अनुपस्थित है, बायां कान केवल त्वचा से जुड़ा हुआ है।

3. एकाधिक, लगभग समानांतर सतही चोट के निशान, जो दोनों अग्रबाहुओं के दूरस्थ भाग को घेरे हुए हैं।

4. दोनों सुविकसित स्तनों के आसपास कई छोटी-छोटी सतही चोटें पाई जाती हैं। कट अनुभाग उप-कट में रक्त और ऊतक द्रव के अपव्यय को दर्शाता है।

5. धड़ के पीछे दोनों तरफ कई छोटी-छोटी सतही चोटें। कटा हुआ भाग खून की अधिकता को दर्शाता है।

6. योनी, मेजा और मिनोरा के आसपास सूजन और चोट के निशान। कटा हुआ भाग खून की अधिकता को दर्शाता है।

7. पूरा बायां हाथ पूरी तरह से कुचला हुआ है, अंग केवल कुचली हुई मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। ताजा रक्तस्राव का कोई सबूत नहीं.

8. बायां पैर कुचलने की चोट के कारण जांघ के निचले हिस्से के नीचे वाले अंग से पूरी तरह अलग हो गया है। अलग पैर अंग के साथ फिट बैठता है। ताजा रक्तस्राव का कोई सबूत नहीं.

9. दाहिनी जांघ पूरी तरह से कुचली हुई है और पैर कुचली हुई मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। ताजा रक्तस्राव का कोई सबूत नहीं.

10. दाएँ टखने के जोड़ के दाहिनी ओर 2" x 1 ½" की एक फटी हुई चोट। ताजा रक्तस्राव का कोई सबूत नहीं.

11.छाती के दोनों ओर लगभग सभी पसलियों में एकाधिक फ्रैक्चर।

12. दाहिनी पेट की दीवार के पार्श्व भाग पर एक फटी हुई चोट, ज्यादातर ऊपरी भाग 4" x 2" x 1" में, आंतों की कुंडलियाँ उजागर हो गईं, पेट फट गया और दाहिनी किडनी फट गई। किसी ताजा रक्तस्राव का कोई सबूत नहीं।"

6. पीडब्लू 11 ने बताया कि चोटें संख्या 1, 3, 4, 5 और 6 पोस्टमार्टम से पहले की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि यौन संबंध के सबूत थे। उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु पोस्टमार्टम के 24 से 48 घंटे पहले हुई थी, जो 30.12.1992 को दोपहर 12.00 बजे हुई थी। सत्र न्यायाधीश, जोरहाट ने निम्नलिखित आरोप तय किये:-

“पहला - कि आपने 27.12.92 को या उसके आसपास पुलिबार पीएस के तहत संगसुआ टी एस्टेट में श्रीमती के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। रेखा दत्ता आपके साझा इरादे को आगे बढ़ाने में। और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (जी)/34 के तहत और मेरे संज्ञान में (3) के तहत दंडनीय अपराध किया ।

दूसरा - कि आपने, लगभग उसी दिन, समय और स्थान पर श्रीमती की हत्या की है। रेखा दत्ता ने जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनकर और अपने

सामान्य इरादे से आगे बढ़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत और (4) मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

तीसरा - आप, उसी तिथि, समय और स्थान पर या उसके आसपास, यह जानते हुए कि हत्या के लिए कुछ अपराध किया गया है, उसकी मौत हो गई है, उक्त अपराध के कुछ सबूत गायब हो गए हैं और शव को रेल में फेंक दिया गया था अपने आप को कानूनी सज़ा से बचाने के इरादे से ट्रैक करें और इसके द्वारा मेरे संज्ञान में धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है।"

7. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया: -

1. "मृतका को आखिरी बार 27.12.1992 की रात को आरोपी व्यक्तियों के साथ बंगला नंबर 17 में आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसे कहीं भी जीवित नहीं देखा गया।

2. जब रेखा दत्ता के रिश्तेदारों ने अगली तारीख यानी 28.12.1992 को उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो आरोपी व्यक्ति कोई निश्चित उत्तर देने में विफल रहे।

3. पीड़िता का शव 29.12.1992 को रेलवे ट्रैक पर मिला/पड़ा हुआ था। उक्त रेलवे ट्रैक चाय बागान से होकर गुजरता है जहां बंगला नंबर 17 स्थित है।

4. जब रेखा को आखिरी बार आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा गया था तब उसने मटेरियल एक्ज़िबिट 1 (फ्रॉक) पहना हुआ था और

29.12.1992 को रेलवे ट्रैक पर पाए जाने पर उसके शव पर भी वही फ्रॉक पाई गई थी।

5. सर्जन (पीडब्लू 11) जिसने शव परीक्षण किया, पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र जारी करते समय (प्रदर्शनी)

4) स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीड़ित की मृत्यु खोपड़ी पर पाए गए पोस्टमार्टम पूर्व कटे हुए घाव का परिणाम थी जो सामग्री प्रदर्शनी 3 (खुकरी) जैसे हथियार के कारण हो सकती है।

6. आरोपी जीत काकती द्वारा दिए इत्तला के आधार पर आरोपी ध्रुबा ज्योति भुइयां के बंगले से सामग्री प्रदर्शनी 3 (खुखरी) की बरामदगी।

7. उक्त खुखरी में खून के धब्बे का निशान पाया गया.

8. जांच अधिकारी को बंगला नंबर 17 के बाथरूम में खून के धब्बे भी दिखे.

9. ऊपर बताई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता, जिसे अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए लापता लिंक प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।''

8. ट्रायल कोर्ट ने प्रत्येक परिस्थिति पर विस्तृत तरीके से विचार किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित आखिरी बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में, ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू -4 और पीडब्लू -5 के साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य साबित करने मे सफल रहा है कि रेखा दत्ता को दिनांक 27.12.1992 को रात 9:00

बजे तक आरोपी की कंपनी में देखा गया था। इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि रेखा दत्ता रात भर बंगले में रुकी थीं। रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल सबूतों पर विचार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने माना कि मौत 28.12.1992 को दोपहर 12.00 बजे के बाद होनी चाहिए थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतका को उस समय या उसके बाद आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा गया था। ट्रायल कोर्ट के अनुसार केवल यह तथ्य कि आरोपी 27.12.1992 को रात 9:00 बजे तक मृतका के साथ थे, अपने आप में एक अनूठा निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि उन्होंने अपराध किया है।

9. ट्रायल कोर्ट ने मृत्यु पूर्व चोट संख्या 1 के संबंध में पीडब्लू 11 के साक्ष्य को स्वीकार किया जो एक तेज हथियार के कारण हुआ था जिसके कारण रेखा दत्ता की मृत्यु हो गई। इत्तला के अनुसार खुखरी की बरामदगी ट्रायल कोर्ट द्वारा सख्त जांच का विषय थी। यह देखा गया कि इत्तला और जब्ती के चार गवाहों, पीडब्लू 13, पीडब्लू 14, पीडब्लू 15 और पीडब्लू 19 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। इतला या जब्ती के बारे में जांच अधिकारी पीडब्लू 21 के बयान की कोई पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने यह भी जांचा कि क्या अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि जब्त किए गए हथियार का इस्तेमाल अपराध के लिए किया गया था। पीडब्लू 19, जिसकी उपस्थिति में हथियार जब्त किया गया था, ने बताया कि हथियार पर कोई खून के धब्बे नहीं थे। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गुवाहाटी की रिपोर्ट में खून के धब्बे तो मिले लेकिन खून के स्रोत का पता नहीं चल सका। ऐसा कोई सबूत नहीं था कि हथियार पर मानव खून लगा था। जांच अधिकारी ने बंगला नंबर 17 के बाथरूम में खून के धब्बे मिलने की बात कही. जो रक्त एकत्र किया गया था उसे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि नमूने ने रक्त के लिए नकारात्मक परीक्षण दिया।

10. ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि अभियोजन पक्ष जित काकती के खिलाफ धारा 366-ए के आरोप को साबित करने में असमर्थ रहा क्योंकि मृतका अपनी इच्छा से जित काकती की कंपनी में थी। रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों की गहन जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (2) (जी) के तहत आरोप साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों के खिलाफ कथित अपराध करने का कोई मकसद नहीं था। समग्र विचार पर ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियुक्त धारा 302 , 201 सपठित धारा 34 के तहत भी अपराध के लिए दोषी नहीं थे। आगे यह माना गया कि 27.02.1992 की रात को आरोपी और मृतका को आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति ही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

11. उच्च न्यायालय ने धारा 366-ए और 376 (2) (जी) के तहत आरोपियों को बरी करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपराध के समय मृतका की आयु 24 वर्ष थी। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि दोषमुक्ति के निर्णयों में सामान्यतः केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाता क्योंकि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख किया कि मृतका 27.12.1992 को रात 9:00 बजे तक आरोपी के साथ था और शव 29.12.1992 को दोपहर 3:00 बजे बरामद किया गया था। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि जब उन्हें आखिरी बार एक साथ देखा गया था और शव की बरामदगी के बीच कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु 28.12.1992 की रात को हुई थी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के समय से मेल खाएगा जो 28.12.1992 को दोपहर 12:00 बजे के आसपास था। उच्च न्यायालय ने माना कि जब अंतिम बार देखा गया सिद्धांत

स्थापित हो गया तो स्पष्टीकरण देने और स्वयं को दोषमुक्त साबित करने का भार आरोपी व्यक्तियों पर था। किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्त के अपराध कारित करने की उपधारणा इंगित करेगा। सुझाव देगा। उपरोक्त तर्क के आधार पर, उच्च न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलट दिया और उन्हें आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

12. जित काकाती को धारा 366-ए के तहत अपराध करने के लिए बरी कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने उसने बरी होने की पुष्टि की। इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान जित काकाती की मृत्यु हो जाने से उसके द्वारा दायर अपील समाप्त हो गई। धारा 376 (2) (जी) के तहत अपीलकर्ताओं को बरी करने की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी जिसे चुनौती नहीं दी गई है। हमारे विचार के लिए मुख्य बिन्दु यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 302 , 201 के सपठित 34 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाना उचित है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप अनुचित है, सिवाय इसके कि जब वह विकृति के दोष से ग्रस्त हो (देखें: ब्रह्म स्वरूप बनाम यूपी राज्य, (2011) 6 एससीसी 288 ¶ 38). ट्रायल कोर्ट के फैसले में किसी भी विकृति के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा न तो कोई चर्चा की गई है और न ही कोई निष्कर्ष दिया गया है। एकमात्र आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, वह यह था कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि आरोपी और मृतका को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और कोई स्पष्टीकरण नहीं था जिस कारण आरोपी के दोषी होने की उपधारणा की गई।

13. माना कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों के निर्णय में ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'आवश्यक' या 'चाहिए' न कि 'स्थापित' की जा सकती हैं;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या करने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और

(5) साक्ष्यों की एक शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। (देखें: शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 ¶ 153; एमजी अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1963 एससी 200 ¶18)

14. असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.वेंकटरमणी ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कथन किया कि मृतका को

27.12.1992 को रात 9 बजे तक आरोपियों के साथ देखा गया था और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अगले दिन, अखिल बोरदोलोई (अपीलकर्ता संख्या 3) ने शुरू में यह कहकर मृतका के परिवार के सदस्यों को गुमराह किया कि मृतका जित काकती के साथ था और जल्द ही वापस आएगा और दोपहर में अपना बयान बदलते हुए कहा कि मृतका जित के साथ नहीं था। श्री आर. वेंकटरमणी ने कथन किया कि यह घटना एक चाय बागान में हुई, जहां बहुत कम आबादी है और वहां आम जनता की पहुंच नहीं है। रेलवे ट्रैक चाय बागान से सटा हुआ है और किसी और के अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 313 सीआर के तहत अपनी परीक्षा में अभियुक्तों की ओर से पूर्ण इनकार किया जो आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत परिस्थिति है।

15. अब यह कोई मायने नहीं रखता कि संदेह कभी-कभी कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता, अनजाने में यह नैतिक निश्चितता और कानूनी सबूत के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। कभी-कभी यह "सच हो सकता है" का मामला हो सकता है। लेकिन "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच एक लंबी मानसिक दूरी होती है और यही बात निश्चित निष्कर्षों से अनुमानों को विभाजित करती है। (देखें: जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य , (1991) 3 एससीसी 27 ¶ 11)

16. यह स्थापित कानून है कि न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थापित तथ्यों के आधार पर होने चाहिए न कि अनुमानों पर। (देखें: सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य , (2013) 12 एससीसी 406 ¶13-18) उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृत्यु 28.12.1992 को 48 घंटे के समय के भीतर हुई थी जैसा कि उल्लेखित है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है. पोस्टमार्टम परीक्षा 30.12.1992 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई थी और पीडब्लू-11 की राय मे मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षा के

24 से 48 घंटे पहले हुई थी। यदि समय अधिकतम 48 घंटे तक बढ़ाया जाए तो भी मृत्यु 28.12.1992 को दोपहर 12:00 बजे के बाद हुई थी। दिनांक 27.12.1992 को रात्रि 9:00 बजे तक मृतका अभियुक्त के साथ थी। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अभियुक्तों ने मृतका की दिनांक 28.12.1992 को रात्रि के समय हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है, किसी प्रमाणित तथ्य पर आधारित नहीं है। विचारण न्यायालय का यह मानना सही है कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतका 28.12.1992 को दोपहर 12:00 बजे के बाद आरोपी के साथ था।

17. अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए नौ परिस्थितियों पर भरोसा किया। शव परीक्षण करने वाले पीडब्लू-11 ने कहा कि पीड़ित की मौत खोपड़ी पर पाए गए पोस्टमार्टम से पूर्व कटे हुए घाव के कारण हुई थी, जो मटेरियल एक्ज़िबिट 3 (खुखरी) के कारण हो सकता था। हम विचारण न्यायालय से सहमत हैं कि खुखरी की बरामदगी का समर्थन किसी भी स्वतंत्र गवाह ने नहीं किया था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी असफल रहा कि उक्त खुखरी पर खून के धब्बे थे. बंगला नंबर 17 के बाथरूम में मिले खून के धब्बों को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। उपरोक्त परिस्थितियाँ साबित न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध केवल दो परिस्थितियाँ रह जाएंगी, जो यह हैं कि अभियुक्त को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था और अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना।

18. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति ही आरोपी को अपराध का दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकती। कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य , (2014) 4 एससीसी 715 में इस अदालत ने कहा कि:

> “12. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध

किया था। अभियुक्त और अपराध के बीच संपर्क स्थापित करने वाली कोई और चीज़ होनी चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता की ओर से केवल गैर-स्पष्टीकरण, अपने आप में अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का सबूत नहीं दे सकता है।

…….

15. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत - अपीलकर्ता का मृतका के साथ पहले बताए गए तरीके से जाना, उसके खिलाफ उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा है। अपीलकर्ता की सजा को केवल संदेह के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता, चाहे वह या उसके आचरण पर कितना भी मजबूत क्यों न हो। ये तथ्य मकसद के सबूत के अभाव के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जब यह साबित हो जाता है कि आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तथ्यात्मक स्थिति माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य [(2010) 15 एससीसी 588] से काफी मिलती जुलती है"

अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य, 1994 पुरक (2) एससीसी 372 में इस अदालत ने कहा कि:

"31. इस प्रकार यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता 19-7-1985 की शाम को सीताराम के पास गया था और मृतका सीताराम के घर पर रात में रुका था, बहुत कमजोर और अनिर्णायक है। यहां तक कि अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि वे वहां थे तो यह सबसे अच्छा सबूत होगा कि अपीलकर्ताओं को मृतका के साथ आखिरी बार देखा गया

था। लेकिन यह स्थापित कानून है कि अंतिम बार देखे जाने की एकमात्र परिस्थिति इस निष्कर्ष के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी कि यह केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है और इसलिए, केवल उस आधार पर कोई दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकती है।"

19. भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एससीसी 106 में इस न्यायालय ने माना कि धारा 313 , सीआरपीसी के तहत आरोपी अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। केवल अभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की कि अभियुक्तों द्वारा किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्तों के अपराध की उपधारणा का खंडन नहीं किया गया और इस प्रकार अपीलकर्ता दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे।

20. श्री आर. वेंकटरमणि ने देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एससीआर 570 पृष्ठ 582 पर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भरोसा किया कि आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति और आरोपी द्वारा किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण का अभाव एक मजबूत परिस्थिति है जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था: -

"यह सच है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में न केवल साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही की संभावना को खारिज कर दे। लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक ढंग से बनाए गए हैं और

परिस्थितियां अपीलकर्ता को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं, उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतका के करीब है, और वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है , जिसे अगर स्वीकार कर लिया जाए, भले ही साबित न किया जाए, तो उसकी बेगुनाही के अनुरूप पूरे मामले पर निष्कर्ष के लिए एक उचित आधार प्रदान किया जाएगा, स्पष्टीकरण की ऐसी अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण स्वयं एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है। इसलिए, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करता है।"

21. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां अन्य लिंक संतोषजनक ढंग से बनाए गए हैं और परिस्थितियां आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति और स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति कड़ी को पूरा करने का एक अतिरिक्त लिंक प्रदान करेगी। अन्य परिस्थितियों के प्रमाण के अभाव में, अंतिम बार साथ देखे जाने की एकमात्र परिस्थिति तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस बिंदु पर श्री वेंकटरमणी द्वारा उद्धृत अन्य निर्णय अलग दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और इस प्रकार, उन्हें विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान, (2007) 3 एससीसी 755 में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया कि आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति उस मामले में एक प्रासंगिक परिस्थिति होगी जहां बीच की अवधि में घटना स्थल पर या अपराध घटित होने से पहले मृतका से मिलने या उसके पास किसी अन्य व्यक्ति के आने की कोई संभावना नहीं थी। उपरोक्त निर्णय में यह निम्नानुसार व्यक्त किया गया:-

“34. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति को आम तौर पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया जाता है कि मृतका एक साथ जीवित पाइ गइ और जब मृतका मृत पाये जाने के बीच का समय इतना कम था कि मृतका के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना पूरी तरह से खारिज की जा सकती थी। मृतका के साथ देखे गए आरोपी व्यक्तियों और अपराध का पता लगाने के बीच का समय अंतराल सबूतों की सराहना करने और आरोपी के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में उस पर भरोसा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा। लेकिन, सभी मामलों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिरी बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि आरोपी व्यक्तियों और मृतका को आखिरी बार एक साथ देखे जाने और अपराध उजागर होने के बीच काफी लम्बे समय का अंतर है। इस संबंध में समय अंतराल की अवधि के लिए कोई निश्चित या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर निर्भर करेगा ताकि बीच की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति के मृतका से मिलने की संभावना को दूर किया जा सके, अर्थात, यदि अभियोजन पक्ष ऐसे सबूत पेश करने में सक्षम रहता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध कारित करने की संभावना असंभव हो जाती है, तो आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति के सबूत पर विचार किया जा सकता है, चाहे इसमें लंबी अवधि होती है। ऐसे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध साबित करने

के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में से एक परिस्थिति के रूप मे मानी जा सकती है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, घटना स्थल पर या अपराध के घटित होने से पहले, बीच की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति के मृतका से मिलने या उसके पास आने की कोई संभावना नहीं थी तब अंतिम बार एक साथ देखे जाने का प्रमाण प्रासंगिक साक्ष्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि यह साबित प्रदर्शित किया जा सकता है कि आरोपी व्यक्तियों का उस स्थान पर विशेष कब्ज़ा था जहां घटना घटी थी या जहां उन्हें आखिरी बार मृतका के साथ देखा गया था, और उस स्थान पर किसी तीसरे द्वारा घुसपैठ की कोई संभावना नहीं थी, तो अपेक्षाकृत व्यापक समय अंतराल अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगा।''

जैसा कि हमने माना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अन्य परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, वे साबित नहीं हुई हैं और संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव के साथ-साथ अंतिम बार देखी गई परिस्थितियाँ आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उपरोक्त निर्णय में दर्ज निष्कर्ष इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

22. परिस्थितियों की श्रृंखला की कमी के कारण जो आरोपी के खिलाफ अपराध की एकमात्र परिकल्पना का कारण बनती है, हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और अपीलकर्ताओं को धारा 302 , 201 के सपठित धारा 34 आईपीसी के आरोपों से बरी करते हैं। अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

23. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाति चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।